

आयामय उपरवठ आधिनारी महीप रनेठेला
 3 नमर वतारुशाल वतारु शक्तिधारी उ० न. 58/2018

नम्बर व तारीख
 अहकाम जो इस
 हुकम की तालीम
 में जारी हुए

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

05/15
 पञ्जाबी पेशा हुं। वकुलाम फारेकन
 /अनुमति पीडलीन अधिनारी कें
 /अन्य कार्य में वसत पञ्जाबी अधिन
 कार्यवाही हेतु दिनांक... 08/2/19
 जो पेश हो

08/07
 पञ्जाबी पेश हुं। वकुलाम फारेकन
 /अनुमति पीडलीन अधिनारी कें
 /अन्य कार्य में वसत पञ्जाबी अधिन
 कार्यवाही हेतु दिनांक... 10/2/19
 जो पेश हो

10/07
 पञ्जाबी पेश हुं। वकुलाम फारेकन
 /अनुमति पीडलीन अधिनारी कें
 /अन्य कार्य में वसत पञ्जाबी अधिन
 कार्यवाही हेतु दिनांक... 11/2/19
 जो पेश हो

11/02/19 पञ्जाबी पेश / वकील वाडी डय०।
 वाटे पेश करने साक्ष्य एवं शपथपत्र
 गवाहन / सह खातदारान पञ्जाबी डि
 20/03/19 को पेश हो

20/03/19 पञ्जाबी पेश । वकील वाडी डय०।
 वकील वाडी के द्वारा सं ३१ के सह-
 खातदारान के सहअति पत्र-शपथपत्र
 पेश कि, सा. पञ्जा. हो। वहीन डाकिम
 से हकवकील हुकी गई। पञ्जाबी कति
 दादेबाबू डि 03/08/19 को पेश
 हो



03/08/19
 पञ्जाबी पेश हुं। उल्लेख में वकील वाडी की
 वसत हुनी जा चुकी है। दोराने कस वकील

वादी ने मुताबिक अनुलोष दवा डिक्री किया जो
का निर्देश किया।

पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व
रेकोर्ड, संलग्न पटवारी रिपोर्ट, संलग्न उभाण-पत्र
सदरपंच ग्राम पंचायत, पैराग्राफ मुख्य पटवारी
सामल शपथ-पत्रों का उत्खलन किया गया
जिससे अकील वादी का वाद स्वीकार किया जाने
योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया
जाता है तथा घोषणा इस आशय की जारी की
जाती है कि :-

निर्णय

तन ग्राम साठियावास तहसील खण्डेना जिला सीकर (राज)
उपस्थित कृषि भूमि ख.नं. 346, 353, 354, 362, 364,
367, 369, 370, 372, 373, 376 कच्चा 4.22 है, ख.
नं. 379 ता 405, 459 ता 461 कच्चा 6.46 है, ख.
नं. 347 ता 352, 355 ता 357, 361, 363, 365, 368,
371, 374, 375, 377 कच्चा 2.83 है. तथा ख.नं.
358 कच्चा 0.20 है. में वादी का अतीत नाम "
बाला पुत्र मूरा, अलदेवा पुत्र मूरा, बाल्या पुत्र
मूरा " के स्थान पर वादी का सही व वास्तविक
नाम "वल्लभाम पुत्र मूराम " दुरुस्त किया जाता
है। उक्तानुसार राजस्व रेकोर्ड में अमल दरांमद
है। तदनुसार पचा डिक्री मूर्ति है। पत्रावली
केसल रांमल हॉल नम्बर से कम है तथा वाद
तन्मूल दाखिल दफ्तर है। निर्णय खुले न्यायम
में सुनाया गया।



09/11/19
उपजज अजितसिंह
खण्डेना (सीकर)

आन्तम डिक्का मुकदमा इजाजत

(ओ. 20 रूल 6-7 जाका दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकदमा खण्डेला

व इजाजत श्री महीपाल सिंह, RAS

① बल्लू राम * वनाम ① भूमिधारी तहसीलया (खण्डेला)
दावा बाबत धोषणा

मुकदमा नं. 56 सन 2018

यह मुकदमा आज वारते इनफिसाल कतई रुबरु श्री महीपाल सिंह, RAS

व हाजिरी श्री बसन्त लुमार गिनजानिव मुद्दई रुबरु

गिनजानिव मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व लिखती दी जाती है कि

तन ग्राम साठियावास तहसील खण्डेला जिला सीमा (राज.) अन्वयित कृषि भूमि
ख.नं. 346, 353, 354, 362, 364, 367, 369, 370, 372, 373, 376 (कवा 4.22 हे.,
ख.नं. 379 ता 405, 459 ता 461 (कवा 6.46 हे., ख.नं. 347 ता 352, 355 ता
357, 361, 363, 365, 368, 371, 374, 375, 377 (कवा 2.83 हे. तथा ख.नं. 358 *:

निज * मुबलिन * बाबत *

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद वशरह * कीसदी कानून आज की तारीख से

तारीख अदायगी तक * का अदा करें।

वसन्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09 माह 08 सन 2019 को

पारी की गई।

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
आहवा खण्डेला (सीकर)

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजाह सदूत			महन्नाना वकील		
महन्नाना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			कीस कमिशनर		
कीस कमिशनर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
गीजान			गीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फारीकेत का चाहे डिपरी के जरिये दिखाना फारक हो या नहीं, चर्त करना चाहिए।

* पुत्र भूराण जात्रे माली निवासी साठियावास लखन
खण्डेला जिला सीकर राज.

- वार्द

* लम्बा 0.20 हे. में वादी का क्वैलता नाम "बाला पुत्र भूराण, क्वैलता
पुत्र भूराण, बाल्या पुत्र भूराण" के ल्यान पर वादी का सही
वास्तविक नाम "वल्लभाम पुत्र भूराण" दुरुस्त किया जाता है।
उक्तानुसार राजस्व रेकोर्ड में अमल दामद हो।



03/8/19
उपकार्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)